(811)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

कमांक 14 /
दो–15–3 / 90

रीवा, दिनांक 31 / 01 / 2024

1. मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेश कमांक–43 / Confdl./2024/II-2-1/ 2024, जबलपुर दिनांक 26 / 01 / 2024 के द्वारा श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा की पदोन्नती षष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के पद पर होने तथा उनके स्थान पर किसी अन्य न्यायाधीश की पदस्थापना न होने के फलस्वरूप सिविल प्रकिया संहिता की धारा–24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर–02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर–03 में दर्शित सूची अनुसार सिविल प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर–04 में दर्शित न्यायालयों में अंतरित किया जाता है:–

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है	प्रकरण का प्रकार एवं सूची कमांक	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	Civil Suit A Class- 01-100 Civil Suit B Class- 01-13 Civil MJC- 01-23 Execution- 01-06 Succession- 01-16 25 Debt Cases- 01-11	श्री रूप सिंह कनेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
		Civil Suit A Class- 101-304 Civil Suit B Class- 14-25 Succession- 17-31 Unciv- 01 25 Debt Cases- 12-21	श्री अक्षत तायल, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
		Civil Suit A Class- 305-448 Civil Suit B Class- 26-37 Civil MJC- 24-62 Execution- 07-21 Succession- 32-46 25 Debt Cases- 22-31	श्रीमती पद्मिनी सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
		Civil Suit A Class- 449-522 Civil Suit B Class- 38-49 Civil MJC- 63-85 Execution- 22-27 Succession- 47-61 25 Debt Cases- 32-41	श्री देवदत्त, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा.

नोटः– चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय रिक्त होने के फलस्वरूप उनके न्यायालय में लंबित 07 वाणिज्यिक प्रकरणों को मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय गठित करने की अधिसूचना जारी होने तक श्री देवदत्त, प्रथम व्य0 न्याया0 वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश की न्यायालय में औपचारिक रूप से कार्यवाही करते हुए सुरक्षित रखे जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

2. सिविल प्रकिया संहिता की धारा–24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर–02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर–03 में दर्शित सूची अनुसार सिविल प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर–04 में दर्शित न्यायालयों में अंतरित किया जाता है:–

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं सूची कमांक	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा	सिविल प्रकरण कमांक–101 से 250 तक	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा

Sd/-
(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क0.528..../
दो–15–3/90

रीवा, दिनांक 31/01/2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा।
2. प्रथम व्य0 न्याया0 वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश रीवा।
3. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय/चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा।
   को निर्देशित किया जाता है कि सूची अनुसार प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय से प्राप्त/प्रेषित करना/सुनिश्चित करें।
4. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
6. जू0सि0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)